अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ 22(28)/2003/1-10 भोपाल, दिनांक 2-12-2003

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागीय आयुक्त,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की विवेचना के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-10 का परिपत्र क्रमांक एफ-22(80)/92/1-10, दिनांक 29-1-93.

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें जिसके माध्यम से राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की विवेचना के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों/कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देशित कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों द्वारा मांगे जाने पर प्रकरण के मूल अभिलेख बिना किसी विलंब के ब्यूरो को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था. (प्रतिलिपि संलग्न है).

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उक्त निर्देश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है और विभिन्न विभागों के अनेक प्रकरणों में बार-बार ब्यूरो द्वारा अभिलेख आदि की मांग की जाने पर ब्यूरो को सूचित किया जाता है कि अभिलेख गुम हो गये है. ब्यूरो द्वारा ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर सूचित करने के लिये लिखा जाता है तो जानकारी नहीं दी जाती इससे न सिर्फ ब्यूरो में जांच के लिये प्रकरण लंबित रहते हैं बल्कि अभियोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ब्यूरो में लंबित प्रकरणों की तीव्र गति से जांच/निराकरण हो को मद्देनजर रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिन प्रकरणों में ब्यूरो द्वारा अभिलेख आदि मांगे जाये उसे "15 दिवस" के भीतर उपलब्ध करा दिया जाय.

ब्यूरो के जांच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख गुम जाने की स्थिति में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रतिवेदन भी ब्यूरो को "एक माह" के भीतर उपलब्ध करा दे, उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाये.

अतएव आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुखों को तत्संबंधी निर्देश जारी करे और इसमें लापरवाही बरतने पर विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

आवश्यक

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ-22(80)/92/1-10 भोपाल, दिनांक 29-1-1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की विवेचना के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में.

संदर्भ.—गृह (सी अनुभाग) विभाग का परिपत्र क्रमांक 759/47/88/कक्ष-1, दिनांक 8 फरवरी, 83 (प्रतिलिपि संलग्न).

शासन के ध्यान में लाया गया है कि उपरोक्त निर्देशों के उपरांत भी राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरणों की विवेचना के दौरान संबंधित विभाग ब्यूरो द्वारा मांग की जाने पर प्रकरण के मूल अभिलेख उन्हें सरलता से उपलब्ध नहीं कराए जाते.

2. इसे कोई अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता.

3. कृपया अपने विभागीय अधिकारियों/कार्यालय प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दे कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मांग की जाने पर प्रकरण के मूल अभिलेख बिना विलंब के ब्यूरो को उपलब्ध कराये जाए.

हस्ता./-
(ओम प्रकाश मेहरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.